

शुल्क और प्रभारों की अनुसूची	
विवरण	शुल्क / प्रभार
प्रसंस्करण शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) (गैर वापसी योग्य)	ऋण राशि का ४% तक
अतिदेय किस्त ब्याज (लागू ब्याज दर से अधिक)	२४% प्रति वर्ष
किस्त बाउंस प्रभार (इंस्टॉलमेंट बाउंस चार्ज)	रु.१०००/- तक प्रति बाउंस
किस्त अदला-बदली प्रभार (इंस्टॉलमेंट स्वैप चार्ज)	रु.५००/- प्रति बार
किस्त की भुगतान तिथि में बदलाव का शुल्क	रु.१०००/- प्रति बार
दस्तावेज पुनर्प्राप्ति प्रभार (दस्तावेज फिर से प्राप्त करने के लिए चार्ज)	ऋण बंदी (लोन क्लोजर) के बाद शून्य प्रभार, अन्यथा रु.१०००/- प्रति पुनर्प्राप्ति
वार्षिक खाता विवरण/चुकोती अनुसूची / अनंतिम कर प्रमाणपत्र / दस्तावेजों की सूची (एलओडी) / पुरोबंध (फोरक्लोजर) पत्र/स्वागत पत्र	- हर 12 महीने में एक बार जारी करने के लिए शून्य - बाद के/डुप्लिकेट अनुरोध के लिए - रु. 500/- प्रति दस्तावेज
एडहॉक स्टेटमेंट जारी करने का शुल्क	रु.५००/- प्रति दस्तावेज
आंशिक पूर्व भुगतान शुल्क (पार्ट-प्रीपेमेंट शुल्क)	क. 12 ईएमआई की सर्विसिंग से पहले आंशिक पूर्व भुगतान (पार्ट-प्रीपेमेंट) की अनुमति नहीं है ख. 12 ईएमआई की सर्विसिंग के बाद i. बकाया मूलधन के अधिकतम 25% का भुगतान प्रत्येक 12 महीने में एक बार किया जा सकता है और ii. भुगतान की गई राशि पर **4% आंशिक भुगतान शुल्क लगाया जाएगा
पूर्व भुगतान/पुरोबंध (फोरक्लोजर) शुल्क	क. 12 ईएमआई की सर्विसिंग से पहले पूर्व भुगतान की अनुमति नहीं है ख. 12 ईएमआई की सर्विसिंग के बाद • निश्चित दर ऋण (फिक्स्ड रेट लोन) (व्यक्तिगत और *गैर-व्यक्तिगत ग्राहक): बकाया मूलधन का 6% तक • अस्थायी दर ऋण (फ्लोटिंग रेट लोन): व्यक्तिगत ग्राहक के लिए: **शून्य

	गैर-व्यक्तिगत ग्राहक के लिए: बकाया मूलधन का 6% तक
ऋण निरसन प्रभार (लोन कैंसलेशन चार्ज)	रु. 5000/- (रद्दीकरण शुल्क के रूप में) इसके आगे, ब्याज, ऋण संवितरण की तारीख और ऋण निरसन की तारीख के बीच की अंतरिम अवधि के लिए लिया जाएगा और प्रसंस्करण शुल्क प्रतिधारित किया जाएगा।)
संवितरण के बाद दस्तावेज़ शर्तों का अनुपालन ना करना (एक बार शुल्क)	क. 10 लाख रुपये तक के ऋण ऋण राशि का 1%, अधिकतम रु. 10000/- ख. 10 लाख रुपये से अधिक के ऋण ऋण राशि का 1%, अधिकतम रु. 25000/-
सीईआरएसएआई रजिस्ट्री/ संशोधन शुल्क	रु.१००/-
कानूनी संग्रह और प्रासंगिक शुल्क	वास्तविक पर
स्टाम्प शुल्क और अन्य सांविधिक प्रभार	लागू नियमों के अनुसार
क) *गैर वैयक्तिक उधारकर्ता का मतलब, ग्राहकों के अलावा उन अन्य से है, जिसमें ऋण संरचना पर इसमें एकमात्र स्वामित्व (प्रोप्राइटरशिप), एचयूएफ, भागीदारी फर्म, कंपनी, एलएलपी, आदि शामिल हैं।	
ख) **वैयक्तिक उधारकर्ताओं के लिए व्यापार के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकृत फ्लोटिंग रेट टर्म लोन पर शून्य फोरक्लोजर प्रभार/ पूर्वभुगतान/ आंशिक पूर्व भुगतान शुल्क (पार्ट प्री-पेमेंट चार्ज)।	
ग) शुल्क और प्रभार का विवरण, संवितरण की तारीख के अनुसार होगा और समय-समय पर परिवर्तन/ संशोधन के अधीन होगा तथा वेबसाइट (www.hfs.in) पर अपडेट किया जाएगा।	
घ) उपरोक्त सभी शुल्क और प्रभार, कर के अनन्य हैं और इन करों को लागू कर नियमों के अनुसार लगाया जाएगा।	
ड) उपरोक्त का कोई भी अपवाद पूरी तरह से एचएफएस के विवेक पर होगा।	